

# कार्यालय कलेक्टर, जिला – नारायणपुर (छ.ग.),

(आदिवासी विकास शाखा)

दूरभाष नं.– 07781 - 252881 (फैक्स) 299047

Email-collector.assttw.narayanpur@gmail.com

## – संक्षिप्त विज्ञप्ति –

क्रमांक / 1501 / आ.वि. / रा.यु.उ.यो. / प.पू.प्र. / 2023-24

नारायणपुर, दिनांक – 01/05/2023

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए "राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019" अंतर्गत एस.एस.सी., बैंकिंग, रेल्वे एवं व्यापम जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु वर्ष 2023-24 में नारायणपुर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश लेकर परीक्षा की तैयारी करने इच्छुक पात्र अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यार्थियों को नारायणपुर स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में युवा कैरियर निर्माण योजना के तहत हास्टल में आवास, लाईब्रेरी, समाचार पत्र, पत्रिका आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।


अभ्यार्थियों के पात्रता हेतु अर्हताएँ :-

- (1) आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- (2) आवेदक भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छ.ग. शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
- (3) आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी।
- (4) आवेदक बैंकिंग/रेल्वे/व्यापम/एस.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो।
- (5) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हो वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (6) चयनित अभ्यार्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।
- (7) ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता-पिता/पालक की आय रु. 3.00 लाख वार्षिक तक है, वे योजनांतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इस योजना का लाभ लेने हेतु दिनांक 19.05.2023 तक कार्यालय कलेक्टर, आदिवासी विकास शाखा, जिला नारायणपुर के कक्ष क्रमांक 94,95 में आवेदन जमा करना होगा।

1. कुल स्वीकृत सीट – 100 (ST-50,SC-30, OBC-20) महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित होगी।
2. प्राक्चयन परीक्षा हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि – 19.05.2023 समय 5:30 बजे तक
3. प्राक्चयन परीक्षा दिनांक – पृथक से जारी किया जायेगा।
4. आवेदन पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास नारायणपुर के कक्ष क्रमांक 94, 95 में अंतिम तिथि तक जमा किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी हेतु जिला नारायणपुर की वेबसाईट [www.narayanpur.cg.gov.in](http://www.narayanpur.cg.gov.in) से "राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019" विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन कर एवं निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप (**Download**) कर सकते हैं।

  
सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास शाखा,

- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्ड्रावती भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़।
- कलेक्टर, जिला नारायणपुर।
- सहायक संचालक, जनसंपर्क, जिला नारायणपुर संक्षिप्त प्रेष विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ।
- जिला तकनीकी सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) नारायणपुर कृपया जिले के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।

*S. S. S.*  
सहायक आयुक्त,  
आदिमासी विकास शाखा,



‘राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019’ के तहत परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र नारायणपुर में  
एस.एस.सी./बैंकिंग/रेलवे एवं व्यापम की परीक्षाओं के पूर्व तैयारी के लिए अनुबंधित संस्था  
द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु परीक्षा के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास नारायणपुर

— 00 —

1. नाम :— .....
2. पिता का नाम :— .....
3. पिता का व्यवसाय :— शासकीय नौकरी/निजी व्यवसाय/कृषि/मजदुरी
4. माता का नाम :— .....
5. माता का व्यवसाय :— शासकीय नौकरी/निजी व्यवसाय/कृषि/मजदुरी
6. परिवार में कुल कृषि भूमि—सिचित भूमि ..... एकड़ में असिचित भूमि ..... एकड़ में
7. आवेदक की छत्तीसगढ़ राज्य हेतु घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की  
सूची में शामिल जाति/समूह का नाम :— .....
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति)
8. जन्मतिथि (अंकों में) ..... (शब्दों में) .....
9. आयु दिनांक (01.01.2023 की स्थिति में)  
(अंकों में) ..... (शब्दों में) .....
10. आधार कार्ड नम्बर ..... (छायाप्रति संलग्न करें)
11. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है – हाँ/नहीं :— ..... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. परिवार की समस्त स्रोतों से कुल आय :— .....  
(सक्षम अधिकारी का वर्ष 2020–21 का नवीनतम आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें) सेवारत कर्मचारी के  
सतान के संबंध में नौकरी तथा अन्य स्रोतों से आमदनी संबंधी विवरण स्पष्ट-घोषणा पत्र के राथ  
प्रस्तुत किया जाए)
13. पत्र व्यवहार का पता ग्राम/नगर ..... पोस्ट .....  
विकासखंड ..... जिला .....  
फोन नं./मोबाइल न. ....  
(सही मोबाइल नम्बर अनिवार्यतः लिखे ताकि आवश्यकतानुसार /संदेश दिया जा सके)  
ई-मेल .....
14. स्थायी पता ग्राम/नगर ..... पोस्ट .....  
विकासखंड ..... जिला .....  
फोन नं./मोबाइल न. .... ई-मेल .....
15. कोई गंभीर बिमारी हो तो विवरण  
(जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)

क्रमशः ...

11211

16. शैक्षणिक योग्यता विवरण

(कक्षा 10 वीं, कक्षा 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं तक विवरण देवे)

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	स्कूल/कालेज का नाम	लिये गये विषय	प्रतिशत/ग्रेड	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अध्ययन का माध्यम	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9

-: घोषणा :-

मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार क्रमांक 1 से क्रमांक 16 तक दी गयी जानकारी सत्य एवं प्रमाणिक है। उक्त जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा चयन निरस्त किया जा सकता है।

पिता/पालक का नाम ..... आवेदक का नाम .....

हस्ताक्षर ..... हस्ताक्षर .....

### भाग (C)

विभाग द्वारा स्थापित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में बैकिंग / रेल्वे / एस.एस.सी. / व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी हेतु प्रशिक्षण :-

#### उद्देश्य :-

बैकिंग, रेल्वे, एस.एस.सी., व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विभाग द्वारा संचालित 5 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों (रायपुर, विलासपुर, जगदलपुर, कर्हीरधाम एवं नारायणपुर) में 100-100 चयनित अभ्यर्थियों को निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य जिलों में भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा सकेंगे। इस हेतु अहताएं, चयन का मापदण्ड, चयन प्रक्रिया, देय सुविधाएं निम्नानुसार होंगी :-

#### (1) अभ्यर्थियों के पात्रता हेतु अहताए :-

- (i) आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- (ii) आवेदक भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुरूपित जनजाति एवं छ.ग. शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति, प्रमाण पत्र धारक हो।
- (iii) आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी।
- (iv) आवेदक बैकिंग / रेल्वे / व्यापम / एस.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो।
- (v) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हो वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (vi) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।
- (vii) ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता-पिता/पालक की आय रु. 3.00 लाख वार्षिक तक है, वे योजनांतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

#### (2) सीटों का निर्धारण :-

प्रत्येक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हेतु निर्धारित 100 सीट्स में से 50 सीट अनुसूचित जनजाति, 30 सीट अनुसूचित जाति एवं 20 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित होंगी। तथापि किसी वर्ग में सीट रिक्त होने पर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य परस्पर रिक्तियों की पूर्ति की जा सकेगी।  
उपरोक्त सीटों में से 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

#### (3) अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया :-

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। प्राक्चयन परीक्षा हेतु कंडिका (6)(I) के तहत पात्र अभ्यर्थी योग्य होंगे।

#### (4) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप :-

- (i) प्राक्चयन\_परीक्षा का स्वरूप तत्समय में प्रयलित परीक्षा पैटर्न के अनुरूप होगा। जिसमें सामान्यतः समसामयिक विषय, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान तथा राजव्यवस्था, भारत तथा विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, संख्यात्मक अभियोग्यता, गणितीय योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, छ.ग. सामान्य ज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (ii) आवश्यकता अनुसार परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन का अधिकार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को होगा।
- (iii) प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन तथा अभ्यर्थियों का चयन संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में अपर संचालक / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं प्रशिक्षण हेतु चयनित कोचिंग संस्था के समन्वय से किया जायेगा, इस हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नोडल अधिकारी होंगे तथा उनके द्वारा सामाचार पत्रों में विज्ञाप्ति का प्रकाशन किया जायेगा।